

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 6357

दिनांक 25/08/2022

बजट आवंटन आदेश-47

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अर्न्तगत स्टेट कैम्पा योजना में ए.पी.ओ. आईटम-61 INTEREST PART (CAMPA Work Auditing) मद में एडहॉक कैम्पा के वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के लेखे सनदी लेखाकार से बनवाये जाने हेतु अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से उक्त बजट मद में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है :-

2406-04-103-06-01-12
2406- Forest & wildlfie
04- Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(06)-Other
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Othher than Salary)

Amount in lacs

APO Item No. 61 : INTEREST PART-CAMPA Work Auditing		
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Budget Allotment (Fin.)
1	उप वन संरक्षक अजमेर	0.15000
2	उप वन संरक्षक भीलवाडा	0.15000
3	उप वन संरक्षक नागौर	0.15000
4	उप वन संरक्षक टोंक	0.15000
5	उप वन संरक्षक भरतपुर	0.15000
6	उप वन संरक्षक धौलपुर	0.15000
7	उप वन संरक्षक करौली	0.15000
8	उप वन संरक्षक सवाईमाधोपुर	0.15000
9	उप वन संरक्षक बीकानेर	0.15000
10	उ.व.सं. इ.गा.न.परि. स्टे- 11 बीकानेर	0.15000
11	उ.व.सं.इ.गा.न.परि. स्टे- 1 छतरगढ	0.15000
12	उप वन संरक्षक चूरु	0.15000
13	उप वन संरक्षक श्री गंगानगर	0.15000
14	उप वन संरक्षक हनुमानगढ	0.15000
15	उप वन संरक्षक वन्य जीव बीकानेर	0.15000
16	उप वन संरक्षक बाडमेर	0.15000
17	उप वन संरक्षक जैसलमेर	0.15000
18	उ.व.सं.इ.गा.न.परि. स्टे- 11 जैसलमेर	0.15000
19	उप वन संरक्षक जालौर	0.15000
20	उप वन संरक्षक जोधपुर	0.15000
21	उप वन संरक्षक पाली	0.15000
22	उप वन संरक्षक सिरोही	0.15000
23	उप वन संरक्षक जयपुर	0.15000
24	उप वन संरक्षक अलवर	0.15000
25	उप वन संरक्षक दौसा	0.15000
26	उप वन संरक्षक जयपुर उत्तर	0.15000
27	उप वन संरक्षक झुंझुनू	0.15000
28	उप वन संरक्षक सीकर	0.15000
29	उप वन संरक्षक कोटा	0.15000
30	उप वन संरक्षक बारां	0.15000

31	उप वन संरक्षक बूंदी	
32	उप वन संरक्षक झालावाड	0.15000
33	उप वन संरक्षक उदयपुर(उत्तर)	0.15000
34	उप वन संरक्षक बांसवाडा	0.15000
35	उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़	0.15000
36	उप वन संरक्षक डूंगरपुर	0.15000
37	उप वन संरक्षक प्रतापगढ़	0.15000
38	उप वन संरक्षक उदयपुर	0.15000
39	उप वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर KNP	0.15000
40	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि.(प्रथम)रणथम्भौर बाघ परि. सवाईमाधोपुर	0.15000
41	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि.(द्वितीय) रणथम्भौर बाघ परि. करौली	0.15000
42	उप वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर	0.15000
43	उप वन संरक्षक वन्य जीव आबू पर्वत सिरोही	0.15000
44	उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर	0.15000
45	उप वन संरक्षक वन्य जीव चिडियाघर जयपुर	0.15000
46	उप वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर	0.15000
47	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. बाघ परियोजना सरिस्का अलवर	0.15000
48	उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा	0.15000
49	उप वन संरक्षक मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा	0.15000
50	उ.व. सं. वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर	0.15000
51	उप वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर	0.15000
52	उप वन संरक्षक वन्य जीव चित्तौड़गढ़	0.15000
53	उप वन संरक्षक, राजसमंद/वन्य जीव राजसमन्द	0.30000
54	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	0.15000
55	F.T.I. जयपुर	0.15000
	योग	8.40000

- 1 आवंटित बजट एडहॉक कैम्पा के सनदी लेखाकार से वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के लेखे तैयार करवाने हेतु दिया गया है। उप वन संरक्षक सनदी लेखाकार से तैयार किये गये लेखों को संबंधित एम0पी0आर0, बैंक स्टेटमेंट सहित प्रतिहस्ताक्षर कर इस कार्यालय का भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 2 आवंटित बजट एडहॉक कैम्पा के वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक (5 वर्ष) के लेखे सनदी लेखाकार से तैयार करवाने हेतु दिया गया है। उप वन संरक्षक सनदी लेखाकार से तैयार किये गये लेखों के परीक्षण उपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018 (CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 4 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 5 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 6 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो
- 7 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें से किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 8 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार राक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कार्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 9 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

- 10 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 11 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।

Shikha
(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर। *o/c*

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ **6358433**

दिनांक **25/08/2022**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
- 5 मुख्य वन संरक्षक - अजमेर /भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर /कोटा/उदयपुर/वन्य जीव - सवाईमाधोपुर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/बाघ परियोजना सरिस्का अलवर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 6 उप वन संरक्षक- अजमेर/भीलवाड़ा/नागौर/टोंक/भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाईमाधोपुर/बीकानेर /इ.गा.न.परि. स्टे-1 बीकानेर/इ.गा.न.परि. स्टे-1 छत्तरगढ़ बीकानेर/चूरू/श्री गंगानगर/हनुमानगढ़/ बाड़मेर/जैसलमेर/इ.गा.न.परि. स्टे-1 जैसलमेर/जालौर/जोधपुर/पाली/सिरोही/जयपुर/अलवर/ दोसा/जयपुर उत्तर/झुंझुनू/सीकर/कोटा/बारां/बूंदी/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/बांसवाड़ा/प्रतापगढ़/ चित्तौड़गढ़/दूंगरपुर/उदयपुर/अनसंधान, जयपुर/वन्य जीव - के.एन.पी. भरतपुर/रणथम्भौर बाघ परि. (प्रथम) सवाईमाधोपुर/रणथम्भौर बाघ परि. (द्वितीय) करौली/चम्बल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर/जोधपुर/बीकानेर/आबू पर्वत सिरोही/जैसलमेर/जयपुर/बाघ परि. सरिस्का अलवर/चिडियाघर जयपुर/कोटा/राष्ट्रीय उद्यान कोटा/ उदयपुर/चित्तौड़गढ़/ राजसमंद/ उप वन संरक्षक, राज. वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
- 7 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 8 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।

Abhishek
(अभिषेक शर्मा)

उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर। *o/c*